

कार्यालय : नगर पंचायत, वारिसलीगंज (नवादा)

पत्रांक : 1018 / न0प0वारि0, दिनांक : 01/12/18

प्रेषक : नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, वारिसलीगंज ।

उप महालेखाकार,
सामाजिक प्रक्षेत्र - 1,
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय,
बिहार, पटना ।

क. उ. के. ए. ए. सं. 881/17-18

विषय :- लेखा परीक्षा वर्ष 2013 - 14 से 2016-17 में उठाये गये
आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।
प्रसंग :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना सामाजिक
प्रक्षेत्र - 1 का पत्रांक : एस0ए0/एस0एस0-1/ श0स्था0नि0
/14731/14, दिनांक : 25.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के अनुपालन में निवेदन पूर्वक कहना है कि
लेखा परीक्षा वर्ष 2013 - 14 से 2016 - 17 का प्रतिवेदन से संबंधित कण्डिकाओं का
अनुपालन प्रतिवेदन नगर पंचायत, वारिसलीगंज के सामान्य समिति की आयोजित बैठक
दिनांक : 29.11.2018 के प्रस्ताव संख्या - अन्यान्य में पारित करने के उपरान्त अग्रेत्तर
कार्रवाई हेतु सादर समर्पित की जाती है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

501-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, वारिसलीगंज

ज्ञापांक : 1018 / न0प0वारि0, दिनांक : 01/12/18

प्रतिलिपि : सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ सादर समर्पित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, वारिसलीगंज
01/12/18

कार्यालय : नगर पंचायत, वारिसलीगंज (नवादा)

वित्तीय वर्ष 2013 - 14 से 2016 - 17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन पर उठाये गए आपत्तियों का निराकरण से संबंधित प्रतिवेदन

क्रम सं०	कण्डिका संख्या	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	2	3	4
1	1	ससमय भविष्य निधि की कटौती नहीं किये जाने से दायित्व का सृजन - 3.15 लाख	अद्यतन कार्रवाई की जा रही है।
2	2	डस्टबिन क्रय में अधिक भुगतान - 5.10 लाख	अभिकर्ता से वैट की राशि जमा का प्रमाण पत्र जमा करने हेतु नोटिश की गई है परन्तु आज तक अभिकर्ता के द्वारा आपूर्ति की गई डस्टबिन में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ और सुरक्षित जमा राशि जमा रखने की अवधि समाप्त हो चुका है।
3	3	नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लिया जाना - 6.08 लाख	अद्यतन कार्रवाई की जा रही है।
4	4	गृहकर राशि नहीं जमा	जमा कर दी गई है।
5	5	LE.D. लाईट का अनियमित क्रय - 17.05 लाख रुपये	सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक : 10.03.2016 के प्रस्ताव संख्या - 3 के अनुपालन में एल. ई. डी. लाईट की क्रय की गई।
6	6	प्रशासनिक भवन का निर्माण ना कर आबंटन की राशि वापस	नगर पंचायत, वारिसलीगंज क्षेत्रान्तर्गत जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण राशि वापस की गई है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक : 229, दिनांक : 19.03.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज को एक जमीन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज द्वारा नगर सरकार भवन बनाने हेतु कोई भी जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया।
7	7	सैरातों की बन्दोवस्ती में स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाना एवं न्यूनतम सुरक्षित जमा राशि से कम राशि पर बन्दोबस्ती किया जाना	अद्यतन कार्रवाई की जा रही है।
8	8	वैट की कम कटौती	वैट की अवशेष राशि जमा करने हेतु अभिकर्ता को नोटिश किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा दिखे गये त्रुटियों का अनुपालन किया जा रहा है।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी

नगर पंचायत, वारिसलीगंज

01/11/16